

A6
1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / अपील / 2019	09.04.2019	26.07.2019

देवीलाल, पप्पू, सत्यनारायण, बाबूलाल आ. भोजा जाति कुमावत निवासी
बोरखण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

— अपीलांटस

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.11.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 373 रकबा 05 बिस्वा, कुल रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम बोरखण्डी तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 1532/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

अति० जिला कलक्टर बून्दी (राज०) बहस अभिभाषक अपीलान्टस व परोकार सरकार सुनी गयी।
अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ना तो उच्च अधिकारियों से

जांच करवाई एवं ना ही नायब तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन किया। अपीलान्टस का मौके पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्टस को अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्टस की कोई तामील नहीं हुई है। एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान लिये है कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं ली गई है एवं ना ही समीपवर्ती किसानों के बयान लिये गये है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपीलान्टस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्टस को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्टस को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस के अभिभाषक ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्टस को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्टस को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्टस को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्टस के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्टस को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्टस निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्टस विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्टस को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्टस मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से

अति० जिल्म कल
बन्दी (राज०)

AG
3

कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

बन्दीपूर (राज0)